

9/9/19

दुम्मा


पत्रावली पेश हुई। बहुलाय उप
मूलवाद के साथ इस प्रार्थना पत्र
में श्री लकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना
पत्र 023 R/CPC का प्रस्तुत कर
नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की
अनुमति के साथ उक्त प्रार्थनापत्र
विज्ञो किये जाने का अनुरोध
किया।

चूंकि मूलवाद जरिये विज्ञो
खरीज किया जा चुका है। ऐसी
भवस्था में उक्त प्रार्थना-पत्र की
कार्यवाही को जारी रखने
का कोई औचित्य नहीं है।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र
को विज्ञो किये जाने से खरीज
किया जाता है।

पत्रावली फलतः शुभार होकर फलतः
दाखिल हो।




सहायक क्लर्क (FA), जोधपुर